न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/7571/2001/भरतपुर

1– मु0 रामकली बेवा श्री यादराम पि0 रुपला
2– छिद्दी पुत्र यादराम
3– पूरन
4– दुली
5– पीतम
6– मोती

पुत्र रुपला, जाति खाती, निवासी गॉव इकरेला, तहसील डीग, जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मन सिंह उर्फ लखन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, जाति गूजर, निवासी दिल्ली दरवाजा, डीग तह0 डीग, जिला भरतपुर।
2– जवाहर
3– उदय सिंह
4– दिलीप
5– निहाल

पुत्र रोशन सिंह, जाति गूजर, निवासी दिल्ली दरवाजा, डीग तह0, डीग, जिला भरतपुर।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वी0एस0 राठौड, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता रैस्पो0 संख्या–1

निर्णय

दिनांकः 31–05–2018

हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा प्रकरण अपील संख्या 87/99 अनुवानी लक्ष्मन सिंह बनाम मु0 रामकली में पारित निर्णय दिनांक 04–09–2001 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/वर्तमान अपील के अपीलार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में घोषणात्मक वाद, प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0 के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 623 रकबा 0–04, 624 रकबा 0.09, 633 रकबा 0.10 कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम इकलेरा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, डीग ने दिनांक 05–04–1999 को दावा वादी/अपीलार्थीगण इकतरफा में डिक्री किया। इस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या–1 की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में निर्धारित मियाद समय सीमा के बाहर अपील प्रस्तुत की और राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

कैम्प डीग द्वारा निर्णय दिनांक 04–09–2001 से अपील को अन्दर मियाद शुमार कर, अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया कि "उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें"। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में उज्र लिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण–अपीलार्थीगण की ओर से जो वाद दायर किया गया था उसमें स्पष्ट रुप से अभिकथन किया गया था कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 623 रकबा 0–04, 624 रकबा 0.09, 633 रकबा 0.10 कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 है0 वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की है जो साबिक खसरा नम्बर 379/2 से बनाये गये हैं। बन्दोबस्त के दौरान खसरा नम्बर 623 रकबा 0–04, 624 रकबा 0.09 को गत खसरा नम्बर 412 मिन से तथा खसरा नम्बर 633 रकबा 0.10 को गत खसरा नम्बर 420 से बनाया जाना बताते हुये अविधिक रुप से प्रतिवादीगण के पक्ष में कर दिया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–1999 पारित किए थे, जिनमें बिना कोई ठोस आधार के अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादी पक्ष को न्यायालय से नोटिस जारी किए गए थे, किन्तु वे उपस्थित नहीं आये, अतः परीक्षण न्यायालय ने निर्णय एक्स–पार्टी में किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को रिमाण्ड करने का मुख्य आधार ये लिया है कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय इकतरफा में है, किन्तु अपील की कार्यवाही में सम्मनों की तामील आदि के आधार पर निर्णय किया जाना उचित नहीं है। अपील की कार्यवाही में परीक्षण न्यायालय को गुणावगुण पर ही निर्णय करना चाहिए था। यदि सम्मनों की तामील सम्बन्धी कोई आपत्ति प्रत्यर्थी पक्ष की रही थो इसके लिए उन्हें परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर ही आदेश 9 नियम 13, सिविल प्रकिया संहिता के तहत एक्स पार्टी आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। योग्य अधिवक्ता ने अपने समर्थन में न्याय दृष्टान्त 2008 आर0बी0जे0 पेज 526, 2007 आर0आर0टी0 पेज 73 (एच0सी0), 1999 आर0आर0डी0 पेज 196 (एच0सी0), 1994 आर0आर0डी0 पेज 693, 1987 आर0आर0डी0 पेज 476 प्रस्तुत किए और निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने से, निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाए।

5– प्रत्यर्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादपत्र में निहित प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी–रैस्पो0 के कब्जे काश्त खातेदारी की है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के आधार पर हमारी खातेदारी की भूमि को, रैस्पे0 को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही, वादीगण के पक्ष में डिक्री किया गया

है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण–रैस्पो0 पर सम्मनों की कोई तामील, आदेश 5 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नहीं कराई गई है। गवाहों के नाम के आगे वल्दियत व निवास स्थान भी सम्मन में अंकित नहीं किया गया है। सम्मनों की पुश्त पर तामील कुनिन्दा का बयान हलफी नहीं है और ना ही विधिसम्मत तरीके से तामील कराने का कोई प्रयास ही किया गया है। अतः परीक्षण न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रकरण को रिमाण्ड करने का अपीलीय न्यायालय का निर्णय नियमानुकूल है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया। उद्धरित न्याय दृष्टान्तों का भी ससम्मान गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण मे परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में वादीगण/वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा घोषणात्मक वाद प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0 के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 623 रकबा 0–04, 624 रकबा 0.09, 633 रकबा 0.10 कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम इकलेरा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया, जिसे परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 05–04–1999 को इकतरफा में डिक्री किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा निर्णय दिनांक 04–09–2001 से अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया है कि उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का मुख्य आधार यही माना है कि प्रतिवादी को नोटिसों की प्रौपर तरीके से तामील नहीं कराई गई है और इकतरफा निर्णय व डिक्री पारित किए गए हैं।

8– जैसा कि प्रकरण में सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही करते हुये, एक्स–पार्टी निर्णय व डिक्री दिनांक 5–4–1999 पारित किया गया था जिस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादी की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्षकारान के खिलाफ इकतरफा निर्णय व डिक्री जारी होने पर उसके पास सक्षम उपचार हेतु समानान्तर दो कार्यवाही करने का विकल्प है, प्रथम जिस न्यायालय से इकतरफा निर्णय व डिक्री पारित हुये हैं उसी न्यायालय में उपस्थित हो कर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत, एक्स पार्टी डिक्री व निर्णय को निरस्त कराने का आवेदन प्रस्तुत करे तथा द्वितीय एक्स पार्टी निर्णय व डिक्री को नियमित अपील के अपील के माध्यम से अपीलीय न्यायालय में चुनौती प्रदान करे। यहॉ ये भी उल्लेख किया जाना उचित समझा जाता है कि जहॉ आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत, एक्स पार्टी डिक्री व निर्णय को निरस्त कराने का आवेदन प्रस्तुत किया जाये, उस कार्यवाही में परीक्षण न्यायालय सम्मनों की तामील की वैद्यता पर परीक्षण करेगा और जहॉ एक्स पार्टी

निर्णय व डिक्री को नियमित अपील के अपील के माध्यम से अपीलीय न्यायालय में चुनौती प्रदान की जाये तो अपीलीय न्यायालय अपील में सिर्फ गुणावगुण पर ही परीक्षण करेगा, सम्मनों की तामील के सम्बन्ध में अपील में विचार नहीं किया जा सकता है। नियमित अपील की कार्यवाही में सम्मनों की तामील की वैद्यता को तय करना नियमानुकूल कार्यवाही नहीं है। वर्तमान प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने, उनके समक्ष प्रस्तुत की गई नियमित अपील की कार्यवाही में, **सम्मनों की तामील प्रौपर नहीं होना मानते** हुये निर्णय दिनांक 4–9–2001 पारित किया है, जो कि उचित नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर से, सम्मनों की तामील आधारित परीक्षण के स्थान पर, प्रकरण में गुणावगुण पर परीक्षण अपेक्षित था। जैसा कि 1994 आर0आर0डी0 पेज 693 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने मत प्रतिपादित किया है

> (D) Code of Civil Procedure, Orer 9, Rule 13- Appeal against exparte decree- Appellate court cannot examine the question of service of summons- it has to confine itself to the merits of the suit.

2008 आर0बी0जे0 पेज 526 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने मत प्रतिपादित किया है :–

> CODE OF CIVIL PROCEDURE , 1908 - ORDER 9 RULE 13 AND ORDER 43 RULE 1 - While deciding the first appeal. The appellate court cannot look into sufficient cause for non-appearance, which will include sufficiency of service also.

9– यहॉ ये भी उल्लेखित है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री के विरुद्ध नियमित अपील प्रस्तुत की गई थी अतः अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को सम्मनों की तामील उपयुक्त नहीं होने के आधार पर पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने के स्थान पर स्वयं ही गुणावगुण पर निस्तारित करना चाहिए था, जैसा कि 2007 आर0आर0टी0 पेज 73 (एच0सी0) में माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने मत प्रतिपादित किया है :–

> **CODE OF CIVIL PROCEDURE 1908 - Order 9 Rule 13 - Rjasthan Tenancy Act, 1955** - Secs. 99, 89 & 188 - Limitation Act, 1963 - Sec- 5- Setting aside of ex-parte decree - Non service or improper service of summon - Unless the delay in condoned appeal can not be decided on merits - After considering the sufficient casue for not filling appeal intime. **appeal can be decided on merits but only on the basis of sufficiency of service of summon,**

no final order of remand can be passed - Finding of RAA as regards the sufficiency of service of summon on appellants is without jurisdiction- Finding of Board is upheld however the finding that appeal before RAA was time barred is set aside and held to be within limitation- Case remanded.

10– फलतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं उद्धरित न्याय दृष्टान्तों की रोशनी में, उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–09–2001 निरस्त किया जाता है। प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर प्रदान करें और प्रकरण को वाद की कार्यवाही की तरह परीक्षण करते हुये, गुणावगुण आधारित नियमानुकूल निर्णय पारित करें। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18/06/2018 को राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष